

## कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा।

### कार्यालय – झाप

सर्व साधारण को नमूनित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की पराविधिक स्वयंसेवक योजना (पी०एल०वी० योजना) के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा हेतु जनपद महोबा में विभिन्न स्थानों पर कार्य किये जाने हेतु पराविधिक स्वयंसेवकों को नामित किया जाना है।

इस सम्बन्ध में इच्छुक नागरिक जिनके खिलाफ कोई दाइडक वाद लग्भित न हो और न ही किसी वाद में दण्डित हुये हों तथा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता धारित करते हों, आवेदन कर सकते हैं –

कौन आवेदन कर सकता है –

ऐसे व्यक्ति (भडिला/पुरुष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमज़ोर एवं वांछित वर्गों के उत्थान में लधि रखते हैं तथा उनके कार्य करना चाहते हैं। इनमें शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक सहित) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, अंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विकित्सक, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं ललब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर) जो स्वयं सेवा में लधि रखते हों तथा जिन्हे विधिक सेवा प्राधिकरण लीक समझे। पूर्व में चयनित पराविधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते हैं, उन्हें वरिष्ठता प्रदान की जायेगी।

पराविधिक स्वयं सेवक के कार्य –

पराविधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिये पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकरण के प्रबन्ध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सौंपा जायेगा को करना है।

आच्छाण –

क्योंकि पराविधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है, तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु योजना के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता – 10वीं पास

आवेदक विहित प्रपञ्च में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपने शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र की स्वाप्रमाणित छायाप्रति लगाकर तथि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा के कार्यालय में हाथों-हाथ या पंजीकृत डाक से दिनांक 31.08.2021 तक भेज सकते हैं।

नोट – पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्य के लिये कोई घेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तय किये गए देय के अलावा नहीं होता है।

\*आवेदक अपने कार्य करने की लधि जिला स्तर, तहसील स्तर या ग्राम स्तर पर कार्य करने की इच्छा या वरीयता दर्शायें।

सामान्य अनुदेश –

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
3. अच्छा चरित्र का हो तथा समाज सेवा में लधि रखता हो।

आवेदन भेजने का पता – कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा सी०एम०ओ० कार्यालय के बगल में कलेक्ट्रेट रोड, महोबा।

दिनांक: 03.08.2021

भवदीय

(हरदीर सिंह)  
जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
महोबा।

प्रतिलिपि –

1. प्रभारी विज्ञापन/नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ०प्र० लखनऊ को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2. अध्यक्ष जिला अधिवक्ता समिति महोबा को सूचनार्थ एवं समस्त अधिवक्ताओं के मध्य प्रथालित-प्रसारित किये जाने हेतु।
3. न्यायालय परिसर एवं जिला अधिवक्ता समिति कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, समस्त तहसील परिसरों के सूचना पत्रों पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. चरखारी एवं कुलपत्तड़ न्यायालय परिसरों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी महोबा को रथानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. कार्प्पूटर अनुभाग को भाठ उच्च न्यायालय एवं जनपद महोबा की वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।

दिनांक: 03.08.2021

जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
महोबा।